Rashtriya Mahila Kosh

2859. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY :
SHRIMATI SARLA MAHESWARI :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1597 given in Rajya Sabha on the 5th August, 1994 and state :

(a) what is the eligibility criteria for selecting Non-Governmental organisations for the distribution of funds under the Rashtriya Mahila Kosh;

(b) whether there is any plan to extend the activities from the informal sector to some other sectors also in the near future; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF WOMEN AND CHILD WELFARE) (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI) : (a) The eligibility criteria laid down by Rashtriya Mahila Kosh for selecting Non-Governmental Organisations (NGOs) for sanction of credit limits under Rashtriya Mahila Kosh scheme for on-lending to eligible poor women are as under :—

(i) NGOs running on sound lines and having experience in thrift and credit administration of at least 3 years.

(ii) The recovery performance of the NGOs/organisations should have exceeded 90 per cent during each of the last 3 years.

(iii) NGO should have broad-based objectives serving the social and economic needs of the community as a whole and mainly the weaker sections. It should have outreach services in the operational area. It must not work for profit.

(iv) It should have the necessary flexibility professional competence and basic financial management capability and organisational skills to implement the lending programme.

(v) Its Office bearers should not be elected members of any political party.

(vi) It should have aproper system of maintaining accounts. Accounts should have been audited. There should not have been serious irregularities observed in the audit, and that its accounts should be published.

(b) and (c) While the Kosh is already extending credit to NGOs/other organisations for on-lending to poor women who are largely in the informal sector, assistance can also be extended to NGOs/other organisations for on-lending to poor women in other sectors who satisfy the criteria laid down in Kosh lending policy.

KVS Associations

2860. SHRI SHIV CHARAN SINGH :
SHRI J. S. RAJU :
SHRIMATI MALTI SHARMA :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what are the details of the membership strength of each of the associations of employees of Kendriya Vidyalaya Sangthan at the time of their setting the dejure recognition in 1986 under KVS (Recognition of Association) Rules, 1985 ;

(b) if so, which of these recognised associations split into two and when;

(c) what was the membership strength of each of the split group/faction into which these associations had been divided at the time of the split as also each subsequent year and under what names;

(d) what was the membership strength of each of the recognised associations of KVS in 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94 as proved by documents needed in this regard;

(e) what are the details of the action taken against those recognised associations who could not prove their 15% membership strength as essential under KVS (Recognition of association) Rule, 1985; and

(f) if not, the reasons and justification thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) to (f) KVS has accorded dejure recognition in 1986 and 1987 to the following Associations pending verification of their membership :

(i) All India Kendriya Vidyalaya Teachers' Association (AIKVTA)—Open to all Kendriya Vidyalaya teachers.

(ii) Rashtriya Kendriya Vidyalaya Adhvapak Sangh (RKVAS)—Open to all Kendriya Vidyalaya teachers.

(iii) Kendriya Vidyalaya Sangathan Staff Association (KVSSA)—Open to HQ and Regional Office Staff including Group 'D'.

(iv) Kendriya Vidyalaya Non-teaching Staff Association (KEVINTSA)—Open to non-teaching staff of Kendriya Vidyalayas including Group 'D'.

(v) Principals' Forum—Open to all Principal of Kendriya Vidyalayas.

The RKVAS has split into two groups in 1989 with the following names:

—RKVAS (Rashtriya Kendriya Vidyalaya Adhyapak Sangh) (Jagat)

—RKVAS (Rashtriya Kendriya Vidyalaya Adhyapak Sangh) (Ujagar)

Both these groups have been provided temporarily the facilities as applicable to the recognised service Associations.

No verification of membership has been carried out in respect of any recognised Association.

Department of Personnel and Training have since issued revised instructions regarding recognition of service Associations and also procedure for verification of membership of Associations. Kendriya Vidyalaya Sangathan is taking necessary action for adoption of these rules for dealing with all matters relating to the Associations.

बच्चों के लिये प्रकाशित पुस्तकें

2861. श्री अनन्तराम जायसवाल :

श्री दिग्विजय सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पुस्तकों के प्रकाशकों की संख्या कितनी है और उनके द्वारा प्रतिवर्ष लगभग कितनी पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं और प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाली कुल पुस्तकों में कितनी पुस्तकें/साहित्य बच्चों के लिए प्रकाशित की जाती हैं ;

(ख) भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, नेशनल बुक ट्रस्ट और एन० सी० ई० आर० टी० की स्थापना कब की गई थी और उनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या उक्त संस्थाओं की स्थापना से वे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उनकी स्थापना और उन पर होने वाले व्यय का औचित्य क्या है; और

(घ) सरकार सभी प्रकाशकों के प्रकाशन स्तर को बढ़ाने, अच्छे बाल साहित्य का प्रकाशन करने में सुधार लाने के लिए और हिंसा प्रधान बाल साहित्य के प्रकाशन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाएगी और सरकार अपने निर्णय को किस प्रकार से कार्यान्वित करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) देश में करीब 15,000 प्रकाशक हैं, तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता से प्राप्त सांख्यिकी के अनुसार 500 बाल पुस्तकों सहित प्रति वर्ष करीब 22,000 पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं ।

(ख) (i) सूचना के प्रसारण तथा संपूर्ण देश में पाठकों को सूचनात्मक व शिक्षात्मक साहित्य प्रदान करने के उद्देश्य से 1941 मे सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन प्रभाग स्थापित किया गया था ।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में 1957 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत की स्थापना की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य अच्छे साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा सामान्य जनता को नाम मात्र कीमत पर ऐसा साहित्य उपलब्ध कराना, एवं प्रदर्शनियां और सेमिनार आयोजित करना तथा आम लोगों को पुस्तकों के प्रति जागृत करने के लिए आवश्यक कदम उठाना है ।

(iii) देश में स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अधीन 1 सितंबर, 1961 को रा० शै० अ० प्र० प० की एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापना की गई थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के अधीन एक मुख्य एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र स्थापित किया है जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्रकाशकों, लेखकों, चित्रकारों तथा बाल साहित्य में रूचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए एक स्थान पर अधिक से अधिक देशज व विदेशी सामग्री उपलब्ध कराना तथा एकत्र करना और जहां तक संभव हो बाल साहित्य के शीघ्र व संतुलित विकास की प्रौन्नति से संबद्ध विशेषज्ञता व जानकारी देना है ।

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र, प्रकाशकों को ऐसी पुस्तकें विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा जो भारतीय बच्चों के लिए उपयुक्त हों ।

हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् पुनर्गठित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है । परिषद् पुस्तक प्रौन्नति के सभी मुख्य पहलुओं के विचारों के आदान-प्रदान को सुकर बनाने के लिए तथा अन्य बातों के साथ-साथ पुस्तक निर्माण, प्रकाशन व पुस्तकों की बिक्री को शामिल करने; पुस्तक पठन की आदत को विकसित करने; विभिन्न भारतीय भाषाओं में जनसंख्या के विभिन्न आयु-वर्गों के भिन्न-भिन्न वर्गों तक पुस्तकें उपलब्ध कराने तथा सामान्य रूप से भारतीय पुस्तकों की कोटि व विषयवस्तु में सुधार करने के लिए एक सलाहकार निकाय होगा ।